-:निर्णय:-

दिनांक 16.10.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का डाक का पंजीकृत ता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद के शीर्षक में अंकित ।

यह कि वाद की संरचना/नोईयत को गहराई से समझने के लिए वादी एवं प्रतिवादीगण का रक्त संबध वाद पत्र में अंकित किया गया है।

यह कि वादी के पिता/प्रतिवादी सं. 1 के नाम पुश्तैनी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

(क) चक 11 जेडीडब्ल्यू, संयुक्त खाता से 4/19, खाता ओमप्रकाश वगैरह जमाबंदी सम्वत 2075-78 में कुल खाता 8.6020 में 1/4 हिस्सा अर्थात 2.150 प.नं. 65/233, मु. नं. 14 कि.नं. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 प.नं. 66/233 मु. नं. 13 कि. नं. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल 8.6020 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु./गै.मु. भूमि।

(ख) चक 3 यूटीएस संयुक्त खाता सं. 9/54, खाता ओमप्रकाश वगैरह जमाबंदी सम्वत 2074-77 में 1/2 हिस्सा अर्थात 1.3915 है प.नं. 50/213 मु. नं. 39 कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 कुल 2.7830 हैक्टेयर कृषि भूमि कमाण्ड / अनकमाण्ड मु/गै.मु. भूमि।

इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम दोनों चकों में कुल 3.542 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की मद सं. 3 (क, ख) में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण के नाम 3.5420 हैक्टेयर भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो वादी के दादा, पड़दादा से पीढी दर पीढी चली आ रही है, इसी कारण से वादी के दादा मनीराम के फौत हो जाने के बाद विरासतन वादी के पिता को मिली है। उक्त वाद वर्णित 3.5420 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी के जन्म से ही नहीं बल्कि

से ही हित अधिकार उत्पन्न हो गए थे, इसी के चलते वाद वर्णित भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि 3.5420 है, वादी की सहदायिकी सम्पत्ति/कृषि होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक घरेलू समझौता अनुसार वादी को वाद पत्र की मद 3 (ख) में वर्णित भूमि चक 3 यूटीएस वर्तमान खाता सं. 9/54 जमाबंदी सम्वत 4-2077 कुल खाता 2.7830 खाता ओमप्रकाश वगैरह में से प्रतिवादीगण के नाम 1/2 ा अर्थात 1.3950 हैक्टेयर भूमि वादी को सौंप दी थी जिस पर वादी लंबे अर्से से निर्बाध रूप ाबिज है, इसी कारण से वादी वाद वर्णित भूमि मद सं. 3 (ख) में वर्णित भूमि चक 3 स वर्तमान खाता सं. 9/54 जमाबंदी सम्वत 2074-2077 कुल खाता 2.7830 खाता प्रकाश वगैरह में से प्रतिवादीगण के नाम 1/2 हिस्सा अर्थात 1.3950 हैक्टेयर भूमि में से ादीगण का नाम कलमजन करवा कर अपने नाम से खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने की ह अधिकारी है।

यह कि वाद पत्र की मद सं. 3 (ख) में वर्णित भूमि चक 3 यूटीएस वर्तमान खाता सं. , जमाबंदी सम्वत 2074-2077 कुल खाता 2.7830 खाता ओमप्रकाश वगैरह में से ादीगण के नाम 1/2 हिस्सा अर्थात 1.3950 हेक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा रूबरू त अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 2 का वाद वर्णित में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा और ना ही प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपना हक हिस्सा त्यागने द कभी भी अपने हक हिस्से की मांग की गई, इसी कारण से वादी वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करवा कर अपने नाम से खातेदारी ारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने भरण पोषण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पास वाद पत्र की मद सं. 3 (क) में वर्णित भूमि चक 11 जेडीडब्ल्यू वर्तमान साझा खाता /19 खाता ओमप्रकाश वगैरह जमाबंदी सम्वत 2074-2078 कुल खाता 8.6020 में ीगण के नाम 1/4 हिस्सा अर्थात 2.1505 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण द्वारा सुरक्षित रख ली के भविष्य में उनको भरण-पोषण, दैनिक जीवन की आवश्कताओं, हारी-बीमारी की पूर्ति की समस्या उत्पन्न ना हो एवं प्रतिवादीगण इस भूमि से प्राप्त आय से अपना यापन कर रहे है, कारण से वादी वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवा कर अपने नाम से ी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है।

यह कि वादी द्वारा वाद पत्र के समस्त कथन हरसंभव जानकारी एवं वाद कारण उत्पन्न होने ण एवं जमाबंदी रिकार्ड एवं समस्त ज्ञान के आधार पर अंकित करवाए है। यदि भविष्य में को किन्ही नए तथ्यों की जानकारी होती है तो वादी वाद पत्र में संशोधन करवाने के ों को सुरक्षित रखते हुए श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

यह कि वादी द्वारा कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी को मुताबिक घरेलू समझौता अनुसार मिली भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर खाता कायम करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे, गत सप्ताह इनकार हो ही वाद कारण है।

यह कि वाद वर्णित भूमि तहसील हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार की होने के कारण वाद श्रीमान य के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध ीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे

वाद पत्र की मद सं. 3 (ख) में वर्णित भूमि चक 3 यूटीएस वर्तमान खाता सं. 9/54 ी सम्वत 2074-2077 कुल खाता 2.7830 खाता ओमप्रकाश वगैरह में से प्रतिवादीगण के

1/2 हिस्सा अर्थात 1.395 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का नाम कलमजन
के वादी को खातेदार घोषित करके राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमलदरामद करने के आदेश
जावे।

कि वाद व्यय प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलवाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी ता 2 की ओर से अधिवक्ता नवप्रीत सिंह उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने दावा राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद क शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस पक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व ति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है कि:- 3 यूटीएस खाता सं. 9/54 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 यानि 1.3915 र का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार इस खाते से खातेदार दी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार गढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) ार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार म्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से या जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ